R 602-III/08 (167)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल म0प्र0ग्वालियर म0प्र0

COURT FEE 1 Re. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE CANCELLED
COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

नगीना देबी पत्नी सीताशरण जाति कोल निवासी ग्राम रेकसहा, तहसील त्यौथर, जिला रीवा (म0प्र0) -------निगरानीकर्ता/आवेदिका

बनाम

रामनिहोर तनय मौरूकोल निवासी ग्राम रेकसहा, तहसील त्यौथर, जिला रीवा (म0प्र0)

---गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 320/निग0/06-07मे पारित निर्णय दिनांक15-5-08 के बिरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

---

महोदय,

::निगरानी के तथ्य::

आवेदिका के पति और अनावेदक सगे भाई है, तथा उनका चाचा स्व0छोटे लाल कोल था, जिसमे स्व0छोटे लाल द्वारा आवेदिका के पक्ष मे अपने जीवन काल मे दिनांक 30-9-04 को अपनी संपूर्ण चल-अचल सम्पत्ति की बसीयत आवेदिका के नाम कर दिया तथा अनावेदक बसीयतकर्ता से कथित फर्जी व कूट रचित बिभाजन पत्र दिनांक16-8-01 को निष्पादित करवा लिया, अनावेदक द्वारा उक्त बिभाजन पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो आवेदन अनु0अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 31-8-06 को एवं अपर कलेक्टर महोदय द्वारा निगरानी पर पारित आदेश दिनांक 14-6-07 से निरस्त कर दिया गया और यह अभिमत दिया गया कि स्व0छोटे लाल कोल और अनावेदक के मध्य दूसरे-दूसरे परिवार का होने से बिभाजन नही हो सकता है और दूसरे परिवार का होने के कारण अनावेदक नामान्तरण करा पाने का अधिकारी नही है, तथा आवेदिका

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 602–तीन/2008 जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29–9–2016 | यह निगरानी आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 320/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 15–5–2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदिका के पति एवं अनावेदक सगे भाई हैं तथा उनका चाचा स्व0 छोटेलाल कौल था, जिसमें स्व0 छोटेलाल द्वारा आवेदिका के पक्ष में अपने जीवनकाल में दिनांक 30–9–2004 को सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत की गई थी। उक्त वसीयतनामे के आधार पर आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो आदेश दिनांक 08–8–2005 को स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 30–12–2006 को स्वीकार की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 15–5–2008 को निरस्त की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।<br>3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा | |

विचारण न्यायालय में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जहां अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की थी कि वरिष्ठ न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष इस प्रकरण से संबंधित अपील लंबित है इसलिए उक्त प्रकरण को लंबित रखा जाये। अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार के दस्तावेज अथवा स्थगन प्रस्तुत नहीं करने के कारण अनावेदक की आपत्ति निरस्त की गई है। वरिष्ठ न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन प्रदान किये जाने पर ही निम्न न्यायालयों द्वारा कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज कर दोनों निगरानी अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है। चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकनिकी आधार पर प्रकरण का निराकरण किया है। दर्शित परिस्थितियों में अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 30–12–06 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 15–5–08 निरस्त किये जाते है तथा तहसीलदार त्योंथर वृत रायपुर जिला रीवा का आदेश दिनांक 30–3–06 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य